भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1284

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ

1284. श्री अ. मनि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धर्मपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में पिछले पाँच वर्षों के दौरान असंगठित क्षेत्र के कितने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए गए है;

(ख) क्या सरकार ऐप-आधारित सेवाओं, डिलीवरी सेवाओं और फ्रीलांसिंग में कार्यरत गिग श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए कोई विशेष उपाय कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष में गिग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभान्वित करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के संबंध में हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। तमिलनाडु में पीएम-एसवाईएम योजना के तहत दिनांक 10.07.2025 तक कुल 69,490 लाभार्थी पंजीकृत हैं। जिला-वार विवरण अनुबंध में है।

पहली बार, 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

जारी..2/-

संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति-प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान है।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी बजट घोषणा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग कामगारों (प्लेटफॉर्म वर्कर्स) के कल्याण के लिए कई प्रमुख उपायों की घोषणा की है, जिसमें ई-श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण, पहचान पत्र जारी करना और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करना शामिल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय में बजटीय आवंटन 299.80 करोड़ रुपए है।

गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के सामाजिक सुरक्षा ढांचे के लिए एग्रीगेटर्स, नॉलेज पार्टनर्स, और प्लेटफॉर्म कामगार संघों/एसोसियेशन्स और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई दौर की चर्चा की गई है।

* ******

अनुबंध

'असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ' के संबंध में दिनांक 28.07.2025 को श्री अ. मनि द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1284 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

तमिलनाडु राज्य में जिला-वार लाभार्थियों की संख्या (दिनांक 10.07.2025 के अनुसार)

क्र. सं.	जिले	पंजीकरण
1	पुदुकोट्टई	3,633
2	वेल्लोर	3,476
3	तिरुवरूर	3,298
4	कड्डालोर	3,099
5	विल्लुपुरम	2,789
6	ईरोड	2,771
7	तूतिकोरिन	2,736
8	कृष्णागिरि	2,587
9	कोयम्बत्तूर	2,486
10	विरुधुनगर	2,448
11	तिरुचिरापल्ली	2,409
12	कन्याकुमारी	2,345
13	डिंडीगुल	2,177
14	धर्मपुरी	2,166
15	सेलम	2,155
16	तिरुनेलवेली	2,146
17	तिरुवन्नामलई	2,061
18	रामनाथपुरम	1,999
19	मदुरै	1,919
20	कांचीपुरम	1,877
21	थेनी	1,741
22	तंजावुर	1,696
23	तिरुपुर	1,637
24	तिरुवल्लूर	1,626
25	चेन्नई	1,579
26	चेंगलपट्टू	1,575

27	नागपट्टिनम	1,559
28	नामक्कल	1,451
29	अरियालुर	1,328
30	करूर	1,173
31	पेराम्बलूर	1,070
32	शिवगंगा	941
33	नीलगिरी	850
34	रानीपेट	251
35	तेनकासी	188
36	कल्लकुरिची	101
37	तिरुप्पत्थुर	95
38	मयिलाडुतुरई	52
	कुल	**69,490**

डेटा स्रोत: सीएससी दिनांक 10.07.2025 तक

******